





वस्तु और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त ( अपील - । ) का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE (APPEALS - I) 26/1, महात्मा गांधी मार्ग, चेन्नै - 34 26/1, MAHATMA GANDHI ROAD, NUNGAMBAKKAM CHENNAI -34 Office Tel- (044) – 28331140/28335059 Office Fax- (044) – 28331150 Email- commrappl1-cexchn@gov.in

## TRADE NOTICE 01/2020 Dt. 30.04.2020

<u>Subject:</u> Guidelines for conducting personal hearing in virtual mode under Central Excise Act, 1944 & Chapter V of Finance Act, 1994 – Regarding.

विषयः केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत आभासी मोड में व्यक्तिगत सुनवाई करने के लिए दिशा-निर्देश।

On account of recent outbreak of COVID-19 (Coronavirus), the Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) has issued guidelines for conduct of personal hearing in virtual mode under Central Excise Act, 1944 & Chapter V of Finance Act, 1994.

COVID-19 (कोरोनावायरस) के हालिया प्रकोप के कारण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (CBIC) ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के तहत आभासी मोड में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

1. While ensuring compliance with guidelines issued by the Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), the Commissionerate has decided to expedite the process of justice for appellants by conducting personal hearing through virtual mode.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का

अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, आयुक्तालय ने आभासी मोड के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई करके अपीलकर्ताओं के लिए न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है।

2. The guidelines for the conduct of virtual mode of personal hearing through video conferencing facility are encapsulated below:

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के आभासी मोड के संचालन के लिए दिशानिर्देश नीचे संक्षिप्त हैं.

(i) In any proceedings before Commissioner (Appeals-I), the appellant upon receiving notice of the personal hearing, shall acknowledge the receipt of personal hearing notice via physical mode/ electronic mode of communication. The official e-mail address for further correspondence should also be provided by the appellant.

आयुक्त (अपील- I) के समक्ष किसी भी कार्यवाही में, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना प्राप्त करने पर अपीलकर्ता, व्यक्तिगत सुनवाई नोटिस की प्राप्ति को स्वीकार करेगा।

आगे पत्राचार के लिए ई-मेल भी अपीलकर्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ii) In case of willingness to attend the hearing through virtual mode the appellant shall give their consent for the same.

आभासी मोड के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की इच्छा के मामले में अपीलकर्ता उसी के लिए अपनी सहमति देगा।

(iii) The advocate/ consultant/ authorized representative, appearing on behalf of the appellant, in virtual hearing, should file scanned copy of his Vakalatnama or authorization letter along and a copy of his identity proof to the appellate authority through their official e-mail address.

अधिवक्ता / सलाहकार / प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपीलकर्ता की ओर से, आभासी सुनवाई में, उसके वकालतनामा या प्राधिकरण पत्र की स्कैन की हुई प्रति और आधिकारिक ई-मेल पते के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी को पहचान प्रमाण दर्ज करना चाहिए।

(iv) Virtual hearing through video conference will be conducted through available applications like VIDYO or other secured computer network. The details of the video conferencing application and link will be provided after the acknowledgement by the appellant. The appellant should download such application in their computer system/laptop/ mobile phone beforehand for ready connectivity during virtual hearing, and join the video conference at the time allotted to them.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आभासी सुनवाई VIDYO या अन्य सुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क जैसे उपलब्ध अनुप्रयोगों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अपीलकर्ता की सहमति के उपरान्त उसे वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग का लिंक प्रदान किया जायेगा। आभासी सुनवाई के दौरान तैयार संपर्क के लिए अपीलकर्ता को अपने कंप्यूटर सिस्टम / लैपटॉप / मोबाइल फोन में इस तरह के एप्लिकेशन को हाथ से डाउनलोड करना चाहिए, और उन्हें आवंटित समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए।

(v) The submissions made by the appellant or their representative through video conference will be recorded in writing and statement of the same will be prepared, which shall be known as record of personal hearing. A soft copy of such record of personal hearing in PDF format will be sent to the email ID provided by the appellant.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपीलकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे व्यक्तिगत सुनवाई के रिकॉर्ड के रूप में जाना जाएगा। पीडीएफ प्रारूप में व्यक्तिगत सुनवाई के ऐसे रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।

(vi) If the party/ advocate prefers to submit any document including additional submissions during the virtual hearing, he may do so by self – attesting such document and a scanned copy of the same may be emailed to the adjudicating/appellate authority

यदि पार्टी / अधिवक्ता आभासी सुनवाई के दौरान अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ सिहत किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करना पसंद करते हैं, तो वह स्वयं ऐसा कर सकता है - इस तरह के दस्तावेज को संलग्न करना और उसी की एक स्कैन की गई प्रति आसन्न या अपीलीय प्राधिकारी को ईमेल की जा सकती है)

(vii) The appellant is advised to contact us at <a href="mailto:cexchn@gov.in">cexchn@gov.in</a> or on the telephone number provided above for further correspondence and queries.

आगे के पत्राचार और प्रश्नों के लिए अपीलकर्ता को commrappl1cexchn@gov.in पर या उपरोक्त दिए दूरभाष नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

> COMMISSIONER (APPEALS – I)